

Mission of College

"Mission of the College is to provide quality education to woman particularly those belonging to weaker section of the society. Women empowerment bearing ethical value is included as an integral part of our mission with an objective to make women an active components for social and national"

Vision

The Vision of the college is the enhancement of quality education to cater the need of student according to the demand of time and also to build-up responsible citizens who can honour human and cultural values. Vision of the college is to follow the objective given below in order to achieve its goals.

1. to provide education is a environment of freedom of thought and expression.
2. To facilitate not merely traditional but innovative learning also to fulfill the requirement of student.
3. To develop creative environment by organizing literary, cultural, sports, NCC, NSS and other activities.
4. To enhance critical and analytical learning with in the frame work of democratic discipline.
5. To make student aware about gender equality about human rights and environment protection.
6. To develop a strong sense of pride of nation with the honor of national and institutional heritage.

आवश्यक सूचनायें

विशेष – प्रवेश हेतु एवं परीक्षा फार्म के आवेदन हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है।

- (1) महाविद्यालय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमेस्टर पद्धति लागू है ।
- (2) आवेदक एवं उनके अभिभावकों से अपेक्षा है कि विवरणिका को पूर्णतः पढ़ लें। विद्यार्थी अपना प्रवेश आवेदन फार्म स्वयं भरें एवं महाविद्यालय में स्वयं आकर जमा करें।
- (3) विद्यार्थी अपना प्रवेश शुल्क स्वयं जमा करें तथा मूल प्रवेश रसीद प्राप्त करें। मूल रसीद सावधानी पूर्वक संभालकर रखें।
- (4) प्रवेश आवेदन फार्म के साथ अपनी अंकसूचियाँ एवं अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियाँ अनिवार्य रूप से संलग्न करें। प्रवेश के समय मूल अंकसूचियाँ तथा प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें। आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रवेश अधिभार प्रदान किया जावेगा।
- (5) महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी समस्त नियम एवं सूचनाएं समय-समय पर सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी। विद्यार्थी नियमित रूप से अवलोकन करें एवं प्रवेश की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें।
- (6) आवेदन की समस्त पूर्तियाँ की जाना अनिवार्य है। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (7) परीक्षा परिणाम अघोषित होने की स्थिति में भी प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
- (8) निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा।
- (9) जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर/गलत जानकारी देने पर जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों/ प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- (10) प्रवेश लेकर बिना किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना कक्षा में लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- (11) प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को अवधान (कॉशन मनी) के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा। तकनीकी पाठ्यक्रम/व्यवसाय पाठ्यक्रम में प्रवेश हो जाने पर विद्यार्थी को मात्र रूपये 100 रूपये प्रक्रिया शुल्क काटकर जमा की गई सम्पूर्ण शुल्क की राशि वापिस की जायेगी प्रावधिक प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी अनुत्तीर्ण घोषित होने पर रूपये 100/-प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि वापिस कर दी जायेगी।
- (12) महाविद्यालय में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। प्रयोग करने पर मोबाइल फोन जब्त कर लिया जायेगा और आर्थिक दण्ड (जुर्माना) के लिये प्राचार्य अधिकृत है। इसकी पुनरावृत्ति होने पर दण्ड राशि उत्तरोत्तर बढ़ा दी जायेगी और मोबाइल फोन जप्त कर लिया जायेगा।
- (13) कक्षाओं में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है।
- (14) महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। विद्यार्थी को स्वयं एवं विद्यार्थी के अभिभावक को अपने पाल्य के रैगिंग की गतिविधियों में शामिल नहीं होने का वचन पत्र देना अनिवार्य होगा।
- (15) रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही, महाविद्यालय और छात्रावास से निष्कासन, छात्रवृत्ति तथा अन्य प्रदत्त लाभ वापस लेने की कार्यवाही के अलावा अर्थदण्ड और सार्वजनिक क्षमा याचना का भी प्रावधान रहेगा।

vuDef.kdk

Ø-	fooj .k	i "B Ø-
1.	आवश्यक सूचनाएँ	2
2.	महाविद्यालय का परिचय	3
3.	अकादमिक एवं सांस्कृतिक कैलेण्डर	3—4
4.	स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर पद्धति का परिचय	4
5.	वार्षिक एवं सेमेस्टर पद्धति से संचालित स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, शोध सुविधाएँ	5—6
6.	प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत	7—14
7.	ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समय सारिणी	15—18
8.	विभिन्न छात्रवृत्तियाँ / योजनाएँ / संरचनात्मक सुविधाएं एवं शैक्षणेत्तर गतिविधियां	18—21
9.	विभिन्न शासकीय योजनाओं के प्रभारी, सूचना का अधिकार एवं सिटीजन चार्टर	21—22
10.	शुल्क विवरण	23—25
11.	जनभागीदारी समिति एवं राजपत्रित अधिकारियों की सूची	26—28
12.	महाविद्यालयीन स्टॉफ सूची	28

महाविद्यालय का परिचय

विजयाराजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने तथा छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास का लक्ष्य पूर्ण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी तब से निरंतर प्रगति के सोपानों को पार करता हुआ आज यह महाविद्यालय छात्राओं को कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा गृह विज्ञान संकायों की शिक्षा सुविधा प्रदान कर रहा है। लगभग 3000 छात्राएं इस महाविद्यालय में उच्च शिक्षा के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास हेतु एनसीसी, एनएसएस, कैरियर मार्गदर्शन अनेक छात्रवृत्तियों तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ ले रही हैं। सोलह विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं के साथ अत्याधुनिक विषय जैसे कम्प्यूटर एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि विषयों की अध्ययन सुविधा इस महाविद्यालय में है। सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों तथा क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के द्वारा छात्राओं की प्रतिभा का विकास एवं परिष्कार किया जाता है। छात्राओं की सुविधा हेतु परिसर में क्रीड़ा प्रांगण, कैटीन, प्रतिभामंच, पुस्तकालय एवं वाचनालय, छात्रा कॉमनरूम, वाटिकाएं एवं हरा भरा विस्तृत परिसर, भूतपूर्व छात्रा-संगठन आदि उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) बेंगलूर द्वारा सन् 2017 में मूल्यांकन एवं प्रत्यायन उपरान्त इस महाविद्यालय को 7 पाइन्ट स्केल में "B*" (New) ग्रेड प्रदान किया गया है।

अकादमिक कैलेंडर सत्र 2019-20 (सेमेस्टर कक्षाओं के लिये प्रभावशील)

अकादमिक कार्य	स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय	स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ
आरम्भिक कक्षाएँ	01 जुलाई 2019	23 दिसम्बर 2019
शैक्षणिक कार्य	01 जुलाई से 04 नवम्बर 2019	23 दिसम्बर 2019 से 11 अप्रैल 2020
सी.सी.ई. कार्य	सितम्बर तृतीय सप्ताह	मार्च द्वितीय सप्ताह
प्रायोगिक परीक्षाएं	22 अक्टूबर से 09 नवम्बर 2019 के मध्य	01 अप्रैल से 11 अप्रैल 2020 के मध्य
परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	11 नवम्बर 2019 से 19 नवम्बर 2019	12 अप्रैल 2020 से 19 मई 2020
सेमेस्टर एवं एटीकेटी परीक्षा	20 नवम्बर 2019 से 14 दिसम्बर 2019	20 अप्रैल 2020 से 16 मई 2020
सेमेस्टर अंतराल (ब्रेक) विद्यार्थियों के लिये	15 दिसम्बर से 22 दिसम्बर 2019	18 मई से 30 जून 2020
परीक्षा परिणामों की घोषणा	31 दिसम्बर 2019 तक	15 जून 2020 तक

- प्रवेश उत्सव कार्यक्रम : अगस्त (प्रथम सप्ताह) 2019
- छात्रसंघ गठन : अगस्त/सितम्बर - 2019
- खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस./युवा उत्सव/अन्य गतिविधियाँ एवं दीक्षांत समारोह : माह अक्टूबर 2019 तक पूर्ण कर ली जायें
- दीपावली अवकाश : 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2019 तक (पांच दिवस)
- स्नेह सम्मेलन/वार्षिकोत्सव/पुरस्कार वितरण एवं वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन : फरवरी 2020 द्वितीय सप्ताह (अधिकतम 04 कार्य दिवस)

टीप :-

- (1) अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक दिवसों से कम होने की दशा में, महाविद्यालय/वि.वि स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादमिक कैलेंडर का पालन समायानुसार सुनिश्चित किया जा सके।
- (2) स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जावे।

स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय-कार्य दिवसों की गणना सत्र 2019-20

क्रमांक	माह	दिवस	अवकाश	दिवस
1	जुलाई 2019	31	4 रविवार	27
2	अगस्त 2019	31	4 रविवार + 3 अवकाश	24
3	सितम्बर 2019	30	5 रविवार + 1 अवकाश	24
4	अक्टूबर 2019	31	4 रविवार + 2 अवकाश	25
5	नवम्बर 2019	30	4 रविवार + 1 अवकाश	25
6	दिसम्बर 2019	31	5 रविवार + 1 अवकाश	25
	कुल दिवस	184	184-34	150

क्रमांक	विवरण	कार्य दिवस
1	1 जुलाई 2019 से 14 दिसम्बर 2019 तक कुल कार्य दिवस	133
2	अवकाश एवं शैक्षणोत्तर गतिविधि/परीक्षा हेतु अशैक्षणिक दिवस 1. स्थानीय अवकाश – 03 2. दीपावली अवकाश – 04+01 रविवार = कुल 5 दिवस 3. महाविद्यालय स्तर गतिविधियां – 10 4. परीक्षा – 25	42
3	कुल शैक्षणिक दिवस (1-2) (132-42)	91

स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ – कार्य दिवसों की गणना सत्र 2019-20

क्रमांक	माह	दिवस	अवकाश	दिवस
1	जनवरी 2020	31	4 रविवार + 1 अवकाश	26
2	फरवरी 2020	29	4 रविवार + 2 अवकाश	23
3	मार्च 2020	31	5 रविवार + 2 अवकाश	24
4	अप्रैल 2020	30	4 रविवार + 3 अवकाश	23
5	मई 2020	31	5 रविवार + 0 अवकाश	26
6	जून 2020	30	4 रविवार + 1 अवकाश	25
	कुल दिवस	182	182-35	147

स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति द्वितीय/चतुर्थ हेतु शैक्षणिक कार्य दिवसों की गणना सत्र 2019-20

क्रमांक	विवरण	कार्य दिवस
1	23 दिसम्बर 2019 से 16 मई 2020 तक कुल कार्य दिवस	119
2	अवकाश एवं शैक्षणोत्तर गतिविधि/परीक्षा हेतु अशैक्षणिक दिवस 1. महाविद्यालय स्तर गतिविधियां – 04 2. परीक्षा – 25	29
3	कुल शैक्षणिक दिवस (1-2) (119-29)	90

सेमेस्टर पद्धति (परिचय)

शासन द्वारा सत्र 2008-09 से महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षा में सेमेस्टर पद्धति (Semester system) पर सतत् जारी है। इन परीक्षाओं में जो विद्यार्थी दो प्रश्नपत्रों (स्नातकोत्तर) में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Term) प्राप्त होती है। उन्हें ए.टी.के.टी. प्राप्त विषय/प्रश्नपत्र हेतु परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क के साथ अलग से जमा करना होगा। इस पद्धति में, विद्यार्थी को सतत मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रोजेक्ट वर्क जॉब इंटरनशिप के लिये अंकों का निर्धारण किया गया है। परीक्षा परिणाम के कुल प्राप्तांकों में उपरोक्त के लिये निर्धारित अंकों को जोड़ा जावेगा। वर्ष 2019-20 से स्नातक प्रथम वर्ष में वार्षिक पद्धति के अन्तर्गत प्रवेश दिये जावेंगे।

महाविद्यालय में संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध स्थान (सीट्स)

Under - Graduate

S. No.	Course Name	Branch Name	Branch Code	Seats
1.	M.A.	Dance	C003	40
2.	M.A.	Drawing & Painting	C004	40
3.	M.A.	Economics	C005	40
4.	M.A.	English	C006	60
5.	M.A.	Geography	C007	40
6.	M.A.	Hindi	C008	60
7.	M.A.	Music Instrument	C015	40
8.	M.A.	Political Science	C018	40
9.	M.A.	Psychology	C020	40
10.	M.A.	Sociology	C026	40
11.	B.A.	Arts	C028	600
12.	M. Com.	Commerce	C0331	200
13.	B. Com.	Commerce	C032	600
14.	B. H. Sc.	Home Science	C037	50
15.	M. Sc.	Biotechnology	C042	40
16.	M. Sc.	Microbiology	C051	40
17.	B. Sc.	Biotechnology - Botany - Chemistry	C062	60
18.	B. Sc.	Botany - Chemistry - Zoology	C085	250
19.	B. Sc.	Chemistry - Mathematics - Physics	C116	250
20.	B. Sc.	Chemistry - Microbiology - Zoology	C118	60
21.	B. Sc.	Computer Science - Mathematics - Physics	C137	150
22.	B. Com.	Computer with Computer Application	C198	150
23.	M.H. Sc.	Extension and Communication	C204	40
24.	M.H.Sc.	Food and Nutrition	C205	40
25.	B. Lib.	B. Lib.	C249	40

Note - Rs. 100/- Extra for per Practical Subject in case of B.A. Classes.

स्व विन्तीय पाठ्यक्रम

1. बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस)
2. बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन)
3. बी.एससी. (माइक्रो बायोलोजी)
4. बी.एससी. (बायोटेक्नोलॉजी)
5. एम.एससी. (माइक्रो बायोलॉजी)
6. एम.एससी. (बायोटेक्नोलॉजी)
7. एम.एच.एससी. (फूड एण्ड न्यूट्रिशियन)
8. एम.एच.एससी. (एक्सटेंशन एवं कम्प्यूनिकेशन)
10. एम.कॉम.
10. एम.ए. (अंग्रेजी)
11. एम.ए. (नृत्य)
12. एम.ए. (वादन)
13. एम.ए. (ड्राईंग एण्ड पेन्टिंग)

शोध सुविधाएँ

शोध हेतु प्रवेश नियम :

- (1) पी.एच-डी. की उपाधि के लिए पंजीकृत शोधार्थियों को महाविद्यालय में विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।
- (2) शोधार्थियों का, महाविद्यालय में पदस्थ शिक्षक के मार्गदर्शन में पंजीयन होना आवश्यक है अथवा महाविद्यालय के शिक्षक सह-मार्गदर्शक (Co-Guide) हो तभी प्रवेश की सुविधा प्राप्त होगी।
- (3) प्रवेश हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य होगा।
- (4) विशेष परिस्थितियों में शोध निदेशक की अनुशंसा पर प्राचार्य की अनुमति से समयावधि अधिकतम 05 वर्ष की जा सकेगी।
- (5) शोधार्थी की प्रतिदिन उपस्थिति का रिकार्ड शोध निदेशक ही रखेंगे। प्रत्येक छः माह में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (6) शोध प्रबंध के अग्रेषण के पूर्व शोधार्थी को अपने शोध निदेशक से प्रमाणित, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं संबंधित विभाग का अदेय प्रमाण पत्र (नो-ड्यूज) प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- (7) अध्ययन-अवकाश पर शोध कर रहे शिक्षक का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाणपत्र और तीन माह में शोध कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा ऐसे शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।
- (8) शोधार्थी महाविद्यालय तथा संबंधित विश्वविद्यालय के निर्धारित नियमों के अंतर्गत शोध कार्य संपादित कर सकेंगे।

विदेशी छात्र एवं प्रदेश के बाहरी छात्र

विदेशी छात्रों को, उच्च शिक्षा विभाग एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश नियमों के अन्तर्गत प्रवेश दिया जा सकेगा। विदेशी छात्रों के पास विद्यार्थी बीजा, संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र, पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमाणित आवास प्रमाण पत्र, एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये कि छात्र एडस बीमारी से ग्रसित नहीं है।

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल-462004

मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त (सत्र 2019-2020)

1. **प्रयुक्ति** – मार्गदर्शक सिद्धान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत सहपठित करते हुये लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश/नियम/विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हो, उदाहरणार्थ बी.सी.आई. वहाँ ये नियम विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों के ससंगत पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होंगे।

1.1 समस्त महाविद्यालयों में गरिमा पूर्ण प्रवेश उत्सव अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित किये जायेंगे जिसमें कि प्रथम वर्ष के प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शन व्याख्यान दिये जाने की व्यवस्था की जाये।

2. प्रवेश प्रक्रिया— प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2019–20 हेतु केन्द्रीयकृत ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन, ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभाग द्वारा जारी समय सारणी अनुसार निर्धारित समयावधि में, अनिवार्यतः कराना होगा। इस प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल www.epravesha.nic.in पर उपलब्ध रहेगी।

2.1 कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिये पंजीयन कराना अनिवार्य है। इन विद्यार्थियों को अंतिम चरण में स्थान रिक्त रहने पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये पंजीयन के अंतर्गत आवेदक को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित विषय—समूह (गणित/जीव विज्ञान/वाणिज्य/कला/गृह—विज्ञान इत्यादि) का चयन करते हुये उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। इसी तरह स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी प्रवेश हेतु पंजीयन के अंतर्गत आवेदक को अपने विषय का चयन करते हुये उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। विद्यार्थी को अपने विकल्प ऑनलाइन देने होंगे।

इस प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी एवं प्रवेश पोर्टल संबंधी जानकारी पृथक से दी जावेगी आवेदक अधिकतम 09 (नौ) महाविद्यालय/पाठ्यक्रमों का चयन पजीयन के समय करते हुये च्वाइस फिलिंग कर सकेगा।

पंजीयन शुल्क का भुगतान समय सारिणी अनुसार चरणवार, नियमानुसार देय होगा :-

1. प्रथम चरण में पंजीयन हेतु रु. 100 / - (समस्त छात्राओं को निःशुल्क)

2. द्वितीय चरण में पंजीयन हेतु रु. 250 /- विलंब शुल्क सहित।

3. सी.एल.सी. चरण में पंजीयन हेतु रु. 500 /- विलंब शुल्क सहित।

नोट – उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यालयीन पत्र क्र. 40/17/आउशि/आई.टी./19, दिनांक 7.3.2019 के तहत निर्धारित, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा पोर्टल शुल्क रु. 50/- भी देय होगा।

आवेदक के दस्तावेज का सत्यापन कार्य ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित सहायता केन्द्रों जो कि समस्त शासकीय महाविद्यालय हैं, के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा। निर्दिष्ट तिथियों के पश्चात् कोई भी आवेदक ऑनलाइन पंजीयन नहीं कर सकेगा। द्वितीय एवं अंतिम चरण में पंजीयन कराने वाले आवेदकों के प्रवेश हेतु तत्समय उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही विचार किया जावेगा। विद्यार्थी पंजीयन रसीद के प्राप्त होने पर सभी निर्देशों को पढ़ें एवं पालन कर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

पंजीयन के पश्चात् आवेदक आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों जैसे नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि (10वीं/12वीं की अंकसूची के अनुसार), श्रेणी, वर्ग, प्राप्तक, मोबाईल नम्बर एवं अधिभार प्रमाण पत्र की जानकारी इत्यादि की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें एवं सुनिश्चित करें कि दर्ज जानकारी एवं स्पेलिंग पूर्णतः सही है। सत्यापन के पश्चात् किसी भी तरह का परिवर्तन दस्तावेजों के आधार पर ही किया जा सकेगा। दर्ज प्रविष्टियों की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। आवेदक अपना पंजीयन इन्टरनेट के माध्यम से पोर्टल पर कहीं से भी कर सकता है। आवेदकों की सुविधा के लिये समस्त शासकीय महाविद्यालयों में

इसके लिये सहायता केन्द्रों (Help Centres) की व्यवस्था की गई है।

आवेदक प्रवेश हेतु अपना पंजीयन उक्त महाविद्यालयों में समस्त मूल दस्तावेजों एवं फोटो के साथ उपस्थित होकर हेल्प सेंटर के माध्यम से भी करवा सकेगा। हेल्प सेंटर द्वारा ऑनलाइन पंजीयन का प्रिन्ट आवेदक को दिया जायेगा।

पंजीयन शुल्क का भुगतान : आवेदकों द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन डिजीटल माध्यम से ही किया जा सकेगा। विदार्थी पंजीयन पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र / रसीद पर अंकित सभी निर्देशों को पढ़े एवं पालन कर सत्यापन संबंधी आगामी कार्यवाही आवश्यक होने पर सुनिश्चित करें।

2.1 ऑनलाइन पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन—

2.1.1 स्नातक स्तर : ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् आवेदक को अपने दस्तावेजों (अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, संवर्ग प्रमाण-पत्र, ओ.बी.सी. के लिये क्रीमी-लेयर में न होने का प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी हेतु स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र, एन.एस.एस./एन.सी.सी., क्रीड़ा। साहित्यिक/सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमाण-पत्र इत्यादि) जिनके आधार पर प्रवेश के लिये अधिभार देय हो, का सत्यापन करवाना होगा। पंजीयन पश्चात् आवेदकों अथवा उनके अभिभावकों द्वारा अनिवार्यतः संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर करवाना होगा। पंजीकृत आवेदकों को किसी भी निकटतम शासकीय महाविद्यालय में स्थापित सहायता केन्द्रों में अपने मूल प्रमाण-पत्रों, जिनका उल्लेख आवेदन में किया हो, की छायाप्रतियों के एक सेट और पंजीयन-पत्र की प्रति सहित उपस्थित होना होगा। निर्दिष्ट सहायता केन्द्रों पर इन प्रमाण-पत्रों के आधार पर सत्यापन होगा। सहायता केन्द्र के प्रभारी द्वारा सत्यापन पत्र की दो प्रतियों पर आवेदक से हस्ताक्षर प्राप्त कर, एक प्रति आवेदक को प्रदान करेंगे और दूसरी प्रति सहायता केन्द्र में अभिलेख स्वरूप साथ रखेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-एक, दिनांक 25.09.2014 के निर्देशानुसार स्थानीय निवासी एवं आय प्रमाण पत्र स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

सत्यापन कार्य ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारिणी अनुसार शासकीय महाविद्यालय में स्थापित सहायता केन्द्रों के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा। इस हेतु पंजीयन पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र/रसीद के निर्देश पढ़ें। निर्धारित तिथियों में पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदकों को ही गुणानुक्रमानुसार महाविद्यालयों में प्रवेश आवंटन हेतु सम्मिलित किया जावेगा।

2.1.2 स्नातकोत्तर स्तर : ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् आवेदक को कडिका 2.1.1 में उल्लेखित प्रक्रिया को अपनाने वाले सहायता केन्द्र से अभिप्रेमाण से संतुष्ट होने पर अपने हस्ताक्षर कर सत्यापन-पत्र की प्रति प्राप्त करनी होगी। सत्यापन कार्य ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय-सारिणी अनुसार शासकीय महाविद्यालयों में स्थापित सहायता केन्द्रों के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा।

2.1.3. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जावेगा जिनके दस्तावेजों का सत्यापन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान निर्धारित अंतिम तिथि तक हो चुका होगा।

2.2 इंटरनेट से प्राप्त अंकसूची एवं मूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी.सी.) के सम्बन्ध में :

दस्तावेजों के सत्यापन के समय इंटरनेट से डाउनलोड की हुई अंकसूची मान्य होगी, परन्तु प्रवेश के समय मूल अंकसूची ही मान्य होगी। मूल अंकसूची/मूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी.सी.) के अभाव में आवेदक से निर्धारित प्रपत्र में वचन-पत्र प्राप्त कर निर्दिष्ट समयावधि में अंकसूची की प्रतिलिपि तथा मूल टी.सी. जमा करवायी जायेगी। इसकी जानकारी यथास्थान ऑनलाइन प्रवेश माड्यूल में दर्ज की जावेगी जिससे प्रवेश मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सकेगी। वचन-पत्र में घोषित तिथि तक यदि आवेदक द्वारा सम्बन्धित दस्तावेज जमा नहीं किये जाते तो उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

2.3 ऑनलाइन गुणानुक्रम अनुसार आवंटन सूची का महाविद्यालयवार प्रकाशन—

2.3.1 प्रथम चरण में सभी सत्यापित आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय/विषय एवं महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश आवंटन ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम अनुसार पोर्टल पर जारी किये जावेंगे। इसकी सूचना आवेदकों को उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज मोबाइल पर मैसेज के द्वारा दी जावेगी। साथ ही आवेदक अपना प्रवेश आवंटन आवश्यक रूप से प्रवेश पोर्टल पर स्वयं चेक करे। तत्पश्चात् प्रथम चरण हेतु निर्धारित तिथि तक आवेदक आवंटित महाविद्यालय में सत्यापन के समय प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ एवं मूल टी.सी. प्रस्तुत करेंगे। मूल टी.सी. प्राप्त न होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर टी.सी. से संबंधित घोषणा पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। महाविद्यालय आवेदक की पात्रता आदि का सत्यापन करने के पश्चात् ई-प्रवेश पोर्टल पर आवेदक से प्राप्त आवश्यक दस्तावेज जमा करने संबंधी जानकारी प्रवेश माड्यूल में निर्धारित तिथि में करेंगे। तत्पश्चात् ही आवेदक को ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु लिंक इनीशियेट होगी। यह लिंक समय सारणी अनुसार निर्धारित तिथि तक ही एक्टिव रहेगी। आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करने पर एवं प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा। प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय के खाते में ऑनलाईन ही ट्रांसफर होगा।

2.3.2 आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये पंजीयन/प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन यदि फेल होता है तो इस राशि की वापसी उसी बैंक खाते में आयेगी जिस बैंक खाते से आवेदक ने भुगतान किया है।

विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क प्रवेशित महाविद्यालय के प्रोफाइल में दर्ज बैंक खाते में स्थानांतरित होगा। अतः सभी महाविद्यालय स्वयं के बैंक खाते क्रमांक को सही-सही दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। यह जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित महाविद्यालय की होगी। महाविद्यालय के बैंक खाते में विसंगति होने पर विद्यार्थियों की प्रवेशित शुल्क की राशि संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में तब तक वापस जमा नहीं हो पायेगी जब तक कि महाविद्यालय द्वारा बैंक खाते की विसंगति को दूर कर अद्यतन नहीं किया जाता।

2.3.3 ऑनलाइन शुल्क भुगतान प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आवेदक स्वयं अपनी एडमिशन स्लिप का प्रिंटआउट पोर्टल से प्राप्त कर सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके प्रवेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है।

2.4 महाविद्यालयों में रिक्त रह गये स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः वरीयताएँ:

प्रथम चरण के पश्चात् द्वितीय चरण हेतु महाविद्यालयों में उपलब्ध रिक्त स्थानों हेतु पूर्व से पंजीकृत आवेदकों (जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है अथवा जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है) के लिये पुनः ऑन लाइन महाविद्यालय/विषय/पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प रहेगा। आवेदक चाहें तो अपनी पूर्व वरीयताएँ बदल सकेंगे। परन्तु प्रथम/आगामी किसी भी चरण में यदि किसी आवेदक को उसकी दर्शायी हुई प्रथम च्वाइस का महाविद्यालय आवंटित होता है एवं वह उस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है, तो द्वितीय/आगामी चरण में उसे तब तक स्वतः कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी च्वाइस/विकल्प पुनः न भर दे। पुनः विकल्प हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

2.5.1 प्रथम चरण के पश्चात् द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रमवार/वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। द्वितीय चरण के पश्चात् रिक्त रह गये स्थानों पर सी.एल.सी. ऑनलाईन प्रक्रिया हेतु अप्रवेशित आवेदक, अपनी पूर्व वरीयताओं में समय सारणी की निर्धारित तिथियों अनुसार संशोधन/परिवर्तन कर सकेंगे। ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है वह द्वितीय अथवा सी.एल.सी. चरण में शुल्क अदा कर पंजीयन करा सकेंगे।

2.5.2 सी.एल.सी. चरण (ऑनलाइन) की प्रक्रिया :

ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण की प्रक्रिया के तहत प्रवेश हेतु नवीन पंजीकृत एवं अप्रवेशित आवेदकों को समय सारणी अनुसार निर्धारित तिथियों में रिक्त स्थानों की उपलब्धता वाले महाविद्यालय हेतु पाठ्यक्रम/विषय समूह/विषय में प्रवेश हेतु, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन विकल्प देना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय स्तर पर इस हेतु कोई भी लिखित आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।

इस चरण में समय सारणी अनुसार रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रवेश कंडिका 12.1 से 12.8 का पालन करते हुये संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें कंडिका 12.11 अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु उपलब्ध रहेंगी।

अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों हेतु रिक्त सीटों पर पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर ही प्रावधिक प्रवेश हेतु ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण में विचार किया जावेगा।

2.5.3 पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्थान रिक्त होने पर सी.एल.सी. चरण में प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रावधिक प्रवेश के लिये अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जावेगा जिन्होंने अपना पंजीयन एवं दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित तिथियों में ही करा लिया है। प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर प्रवेशित महाविद्यालय में अपने परिणाम के आधार पर उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण अद्यतन कराना होगा जिससे उनका प्रवेश स्वमेव नियमित/निरस्त हो जायेगा। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिये कंडिका 2.7 (क) के अनुसार पात्रता निर्धारित होगी, लेकिन विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिये आवेदक को स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण विषयों में से किसी एक में ही प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

2.5.4 कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अन्तिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पाल्य को महाविद्यालय में आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर प्रचलित सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के स्थानांतरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में रिक्त न होने पर कुलपति की अनुमति से ही सम्बद्ध पाल्य को प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्ज करनी होगी।

सी.एल.सी. चरण में प्रवेश हेतु मेरिट सूची जारी होने के पश्चात् ऐसे पंजीकृत आवेदक जिनका नाम मेरिट सूची में नहीं आया है, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा उनके परीक्षा परिणाम संशोधित करने के कारण, प्रवेश हेतु उनकी पात्रता मेरिट सूची अनुसार पायी जाती है तो ऐसे विद्यार्थियों को विशेष प्रकरण मानते हुये परीक्षा परिणाम आने के 15 दिवस की समय सीमा में संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उ.शि. के प्रस्ताव पर, सक्षम स्तर से अनुमति के बाद प्रवेश दिया जायेगा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा माड्यूल में दर्ज किया जायेगा। ऐसे प्रकरण में स्वीकृत सीटों की संख्या बाधयता नहीं होगी। साथ ही ऐसे विशेष प्रकरण जिनमें प्रवेशित विद्यार्थियों के नामांकन में पात्रता के कारण तकनीकी कठिनाई है उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा संयुक्त निर्णय लेकर निराकरण सुनिश्चित करेंगे।

2.5.5 सत्र 2019-20 से शासकीय महाविद्यालयों के स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में यदि संसाधनों में कमी/कठिनाई है तो प्रवेश हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है—
(क) सत्र 2018-19 स्नातक प्रथम वर्ष में यदि किसी पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रवेश 25 या अधिक संख्या में हैं तभी उक्त पाठ्यक्रम में सत्र 2019-20 में प्रवेश दिया

(ग) सत्र 2019-20 सभी नवीन पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में संख्या का बंधन नहीं रहेगा।

2.6.1 प्रथम वर्ष में प्रवेश—

(ड) म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पूर्व में हायर सेकेण्ड्री (ग्यारवीं) परीक्षा से उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण

4.1 जिन पाठ्यक्रमों हेतु संबंधित वि.वि. द्वारा सीट निर्धारण नहीं किया गया है, ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में

[illegible]

11

6. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रतिशत का आरक्षण।

(घ) प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिये (12 B of UGC Act.) के तहत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में दो अतिरिक्त सीटों का सृजन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। उक्त विद्यार्थियों को सीट आवंटन के बाद प्रवेश देने के पूर्व सम्बद्ध विश्वविद्यालय अनुसार पात्रता सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। उक्त प्रवेशित विद्यार्थी की जानकारी ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध माड्यूल में दर्ज करने का दायित्व भी संबंधित महाविद्यालय का होगा।

5.2 विधि संकाय में नियमित प्रवेश :

(क) विधि संकाय (एल.एल.बी./पंचवर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम) में प्रवेश बी.सी.आई. के नियमानुसार ही दिया जायेगा। बी.सी.आई. द्वारा निर्धारित सीट संख्या ही मान्य होगी।

विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन-प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से ही होंगे। विधि महाविद्यालयों को उनके यहाँ संचालित विधि पाठ्यक्रमों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सम्बन्धित मैपिंग महाविद्यालय से सत्यापन, शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

(ख) एल.एल.एम. में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा एल.एल.बी. में 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिये नियमानुसार प्राप्तांकों में 5 प्रतिशत की छूट रहेगी। न्यायालयीन निर्णयानुसार 54.5 प्रतिशत अंक प्राप्त विद्यार्थी भी पात्र होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री ऐजुकेशन (सी.बी.एस.ई.)/इण्डियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्ड्री ऐजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसियेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की समस्त परीक्षाएं राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी।

6.3 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता-विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा/उपाधि मान्य नहीं होगी।

6.4 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री, मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लिनिकल बायोकेमेस्ट्री, माइक्रो बायोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा-प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस डी.टी. पी पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशॉप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित हैं। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही सम्बन्धित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे आवेदकों को प्रवेश पंजीयन के समय विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता/अर्हता प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र को अन्तिम माना जायेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।

6.5 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की उत्तर मध्यमा परीक्षा को हायर सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी/बी.एससी (गृह-विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है, किन्तु सम्बन्धित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय-समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो सम्बन्धित परीक्षण के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा। विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

7.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम एवं द्वितीय वर्ष परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय/विषयों/विषय-समूह की अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

7.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा। शपथ-पत्र में फर्जी, किसी भी तरह की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने की दशा में सम्बन्धित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा।

7.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व प्राचार्यों द्वारा सम्बन्धित राज्यों एवं स्थानीय थानों के माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।

7.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिये 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।

7.6 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

7.7 जिन विषयों में प्रवेश के लिये प्रदेश के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, उन विषयों में अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

7.8 अन्य राज्यों के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.9 ऐसे अध्ययनरत विद्यार्थी जो छात्रावास में रहते हैं उन्हें अपने छात्रावास कक्ष में किसी अन्य को ठहराना प्रतिबंधित रहेगा।

7.10 अन्य राज्यों के छात्रों द्वारा प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, विश्वविद्यालय से पात्रता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र इत्यादि की मूल प्रति महाविद्यालय में जमा करने के बाद ही महाविद्यालय द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। मूल प्रमाण-पत्रों के अभाव में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। प्रवेश उपरान्त मूल अंकसूची विद्यार्थी को वापिस करना अनिवार्य है।

8. प्रावधिक प्रवेश की पात्रता :

8.1 स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

8.1.1 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम सेमेस्टर/वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक कुल अंकों के प्राप्तांक का प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा जिसके आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा। प्रावधिक प्रवेश के समय आवेदकों को किसी भी सेमेस्टर/वर्ष में एटीकेटी/पूरक नहीं होना चाहिये।

8.1.2 उपरोक्त प्रवेशार्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर अपने दायित्व पर एक वचन पत्र के साथ प्रवेश लेंगे जिसमें यह उल्लेख होगा कि अगर षष्ठम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में गुणानुक्रम परिवर्तन अथवा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होता है/वार्षिक परीक्षा पद्धति में तृतीय वर्ष अनुत्तीर्ण होता है जिसके कारण

10.4 संस्कृत महाविद्यालयों को उनके यहां प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माध्यम में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिये निर्धारित अंतिम तिथि पर तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना होगा। सभी महाविद्यालयों को शासन एवं विश्वविद्यालय से आवश्यक अनुमति निर्धारित तिथियों में प्राप्त करना अनिवार्य है तथा महाविद्यालय को प्रोफाइल दर्ज कर

[illegible]

मैपिंग महाविद्यालय से आनलाईन सत्यापन तथा विश्वविद्यालय से आनलाईन पुनर्सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में महाविद्यालय में सी.एल.सी. चरण में स्थान रिक्त रहने की दशा में पात्रतानुसार ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा—

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिये क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (क्रीमी-लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनीयों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुये सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिये तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे सम्बद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाये, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जायेगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा :

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।
6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल, वीरता हेतु पुलिस मैडल।
7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

12.4 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण सम्बन्धित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छट दी जायेगी।

12.5 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

12.6 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.7 मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त/दिगंगत अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिये सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

12.8 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो सम्बन्धित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

12.9 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश :-

अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी, एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बन्धित मैपिंग महाविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन मॉड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सारिणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिये निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना होगा।

12.9.1 ऐसे अशासकीय महाविद्यालय जिन्हें अल्पसंख्यक महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त है तथा वह ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिये आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा विभाग को निर्धारित तिथियों में अनिवार्य रूप से निम्न दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा—

- (अ) शासन द्वारा वर्तमान सत्र के लिये जारी अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र।
 (ब) विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिये जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र।
 (स) अल्प संख्यक संस्था / महाविद्यालय होने का मान्य प्रमाण पत्र।
 (द) रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी कार्यालय में पंजीबद्ध अद्यतन गर्वनिंग बाडी / प्रबन्धन सूची का प्रमाण पत्र।
 (य) विगत वर्ष में प्रवेशित अल्पसंख्यक श्रेणी / गौर अल्पसंख्यक श्रेणी के विद्यार्थियों की संस्थावार एकजाई जानकारी।
 (र) आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त रखने हेतु संस्था का आवेदन।

12.9.2 मैपिंग महाविद्यालय संबधित अल्पसंख्यक महाविद्यालय की प्रोफाइल का सत्यापन करते समय 12.9.1 में उल्लेखित 6 दस्तावेजों की मूल प्रतियों से मिलान कर सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमudra सहित पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

पोर्टल पर जोड़े गये महाविद्यालय का पुनः सत्यापन करने की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की है एवं उन्हें निश्चित समय-सीमा में पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से सत्यापन करना अनिवार्य है। उक्त पुनःसत्यापन कराने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की भी होगी। यदि समय-सीमा विश्वविद्यालय द्वारा पुनः सत्यापन नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में उक्त महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेगा।

12.10 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।

12.11 कड़िका 2.5 के अनुसार सी.एल.सी. चरण में समय सारणी अनुसार पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

12.12 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

12.13 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो :

[illegible]

पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुये सम्बन्धित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। सम्बन्धित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देगी तथा प्रवेशित आवेदकों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेगी।

13. अधिभार :

अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिये प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अहंकारी परीक्षा के प्राप्तार्थी के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिये आवेदन-पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये आवेदन-पत्र में उल्लेखित संबंधित प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होंगे। विशेष परिस्थितियों में सत्यापन के बाद प्रस्तुत अन्य प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक सक्षम होंगे। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।

साउथ एशियन गेम्स, भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी तथा भारतीय ऑलम्पिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्हता पूर्ण होने पर बगैर किसी गुणानुक्रम के उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनके वे पात्र हैं। सचालक, खेल और युवक कल्याण म.प्र. के पत्र क्र. 7678/खेयुक/2018, दिनांक 14.11.2018 के तहत खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हेतु नियमों/अभिप्रमाणन को निम्नानुसार अद्यतन किया गया है।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस/स्काउट्स (स्काउट/गाईड्स/रेन्जर्स) :

(क)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'ए' सर्टिफिकेट	2 प्रतिशत
(ख)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	3 प्रतिशत
(ग)	एन.सी.सी. 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	4 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	4 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी. कन्टिनेजेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	5 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट	5 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट	10 प्रतिशत
(झ)	मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडेट	15 प्रतिशत
(र)	भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्चेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडेट	15 प्रतिशत
(ल)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले कैंडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्हूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	10 प्रतिशत
(व)	भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	2 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर— 10 प्रतिशत

13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम में प्रवेश लेने पर – 5 प्रतिशत

13.4 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/विजय/रूपांकन प्रतियोगितायें—

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला/संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 2 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 4 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4(1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग/राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित अन्तरक्षेत्रीय प्रतियोगिता एवं मध्यप्रदेश राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित अधिकृत राज्यस्तरीय/अन्तर संभाग/अन्तर जिला में -

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी / टीम के प्रत्येक सदस्य को – 7 प्रतिशत

(ख) जिले के दल से संभाग संभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को— 5 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीन / एस्.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को — 15 प्रतिशत

(क) प्रत्येक, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को	10 प्रतिशत
(ख) प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को -	10 प्रतिशत

13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एण्ड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित और प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को – 10 प्रतिशत

13.6 भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता एवं भारतीय ऑलम्पिक संघ द्वारा 2 वर्ष में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता

(क) मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को – 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश के खिलाड़ी/दल के सदस्यों को 15 प्रतिशत अधिभार दिया जायेगा।

(अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से तात्पर्य राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा आयोजित किये जाने वाली राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से है, जो वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है।)

13.7 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों और उनके आश्रितों को - 1 प्रतिशत

13.8 विशेष प्रोत्साहन : एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ क्रेडेट्स तथा ओलम्पिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्डकप चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, साउथ एशियन गेम्स एवं साउथ एशियन चैम्पियनशिप तथा एसोसियेशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटी की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अथवा भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अर्हता पूर्ण होने पर, बगैर किसी गुणानुक्रम के उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए, जिसके वे पात्र हैं।

13.9 बर्तर्त कि-

(1) खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की अधिकृत प्रतियोगिताओं के प्रमाण का अभिप्रमाणन संबंधित जिले के जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाये।

क्र.	कार्य विवरण	स्नातक प्रथम वर्ष		स्नातकोत्तर प्रथम सेम.	
	प्रथम चरण	दिनांक से	दिनांक तक	दिनांक से	दिनांक तक
1	(अ) ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय-समूह का विकल्प देना	10.06.2019	16.06.2019	15.06.2019	30.06.2019
	(ब) आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी शास. महाविद्यालय से कराना	10.06.2019	17.06.2019	15.06.2019	01.07.2019
2	(अ) सत्यापन करा चुके आवेदकों के लिये प्रथम चरण के सीट आवंटन-पत्र जारी करना	27.06.2019		08.07.2019	
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट कराना एवं प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना	28.06.2019	01.07.2019	09.07.2019	11.07.2019
	(स) ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना	10.06.2019	01.07.2019	15.06.2019	11.07.2019
द्वितीय चरण					
3	(अ) महाविद्यालय में प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त रह गये स्थानों एवं प्रथम चरण के महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रमवार/आरक्षण वर्गवार कट ऑफ की पोर्टल पर जानकारी	03.07.2019		13.07.2019	
	(ब) अप्रजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं पाठ्यक्रम/विषयसमूह का विकल्प देना	04.07.2019	07.07.2019	13.07.2019	16.07.2019
	(स) दस्तावेजों का सत्यापन नवीन एवं पूर्व पंजीकृत किन्तु सत्यापन से वंचित आवेदकों हेतु	04.07.2019	08.07.2019	13.07.2019	17.07.2019
4	प्रथम चरण में रिक्त रह गयी सीटों हेतु पुनः महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय-समूह का ऑन लाइन विकल्प देना (पंजीकृत एवं दस्तावेजों को सत्यापित करा चुके अप्रवेशित/प्रथम चरण में आवंटन प्राप्त किन्तु अप्रवेशित आवेदकों द्वारा)	04.07.2019	08.07.2019	13.07.2019	17.07.2019
5	(अ) सत्यापन करा चुके आवेदकों/पूर्व पंजीकृत आवेदकों के विकल्प के अनुसार द्वितीय चरण के सीट आवंटन पत्र जारी करना।	15.07.2019		23.07.2019	
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमाकर ऑनलाइन भुगतान की लिंक इनिशिएट कराना व आवेदक द्वारा पोर्टल से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना।	15.07.2019	19.07.2019	24.07.2019	26.07.2019
	(स) ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना	03.07.2019	19.07.2019	13.07.2019	26.07.2019
सी.एल.सी. चरण (ऑन लाइन) में प्रवेश					
6	महाविद्यालयों में रिक्त रहे स्थानों की पाठ्यक्रम/विषयवार स्थिति पोर्टल पर प्रदर्शित करना।	22.07.2019		29.07.2019	
7	(अ) अपंजीकृत नवीन आवेदकों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन, ई-प्रवेश पोर्टल पर कराना एवं ऑनलाइन पंजीयन शुल्क का भुगतान करना।	22.07.2019	26.07.2019	29.07.2019	01.08.2019
	(ब) दस्तावेजों का सत्यापन नजदीकी किसी भी शासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर कराना नवीन पंजीकृत/पूर्व से पंजीकृत किन्तु सत्यापन से वंचित आवेदकों के लिये।	22.07.2019	27.07.2019	29.07.2019	02.08.2019
8	(अ) इस चरण में प्रवेश के इच्छुक आवेदकों को समय सीमा में केवल प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रविष्टि कर महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय समूह/विषयवार का विकल्प देना अनिवार्य है (विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रस्तुत लिखित आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।)	22.07.2019	27.07.2019	29.07.2019	02.08.2019
9	(अ) महाविद्यालय द्वारा प्रवेश सूची जारी करना।	31.07.2019		06.08.2019	
	(ब) आवेदकों द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनीशिएट करना एवं आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का समय सीमा में भुगतान करना	31.07.2019	03.08.2019	06.08.2019	08.08.2019
	(स) उपरोक्त कड़िका (ब) में उल्लेखित दिनांक तक आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रिक्त सीटों को अनारक्षित मानते महाविद्यालय द्वारा शेष आवेदकों की प्रवेश सूची मेरिट अनुसार जारी कर लिंक इनीशिएट कराना एवं आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का समय सीमा में भुगतान करना।	06.08.2019	08.08.2019	11.08.2019	14.08.2019
	(द) ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना। (समय सीमा में पोर्टल पर प्रवेश की जानकारी दर्ज न करने पर जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।)	22.07.2019	08.08.2019	29.07.2019	14.08.2019

विजयाराजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरार

सत्र 2019-20 अकादमिक कैलेण्डर
(वर्षिक पद्धति-स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष कक्षाओं हेतु प्रभावशील)

स. क्र.	विवरण	तिथि
1	प्रवेश प्रारम्भ	10.06.2019
2	शिक्षण कार्य प्रारम्भ	01.07.2019
3	प्रवेश उत्सव कार्यक्रम	अगस्त (प्रथम सप्ताह) 2019
4	स्थानांतरण प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी प्रवेश बन्द	14.08.2019
5	संकाय परिवर्तन/विषय परिवर्तन/प्रवेश समस्या निवारण शिविर	प्रवेश समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह तक
छात्रसंघ / सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेलकूद एवं अन्य महाविद्यालयीन गतिविधियाँ		
1	छात्रसंघ गठन	अगस्त/सितम्बर 2019
2	विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन/जिला/संभाग/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाएं	ये सभी गतिविधियां माह अक्टूबर 2019 तक पूर्ण कर ली जाएं
3	खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस./युवा उत्सव/दीक्षान्त समारोह एवं अन्य गतिविधियाँ	
4	वार्षिक स्नेह सम्मेलन/वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन	फरवरी द्वितीय सप्ताह 2020 (अधिकतम 04 दिवस)
आंतरिक मूल्यांकन/वार्षिक परीक्षाएँ		
1	पूरक परीक्षा प्रारंभ	16.09.2019 से 23.09.2019
2	पूरक परीक्षा परिणाम की घोषणा	30.09.2019
3	तिमाही परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन	सितम्बर अंतिम सप्ताह 2019
4	छ:माही आंतरिक मूल्यांकन	दिसम्बर अंतिम सप्ताह 2019
5	सैद्धान्तिक परीक्षा कार्यक्रम की विस्तृत घोषणा	17 फरवरी 2020
6	सभी स्नातक कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि	12 मार्च से 25 मार्च 2020
7	परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	26 मार्च से 31 मार्च 2020
8	वार्षिक परीक्षा प्रारंभ	01 अप्रैल से 15 मई 2020
9	सभी परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि	15 जून 2020
अवकाश		
1	दीपावली	26 से 31 अक्टूबर 2019 तक (5) दिवस
2	ग्रीष्म अवकाश (शिक्षकों हेतु)	18 मई से 26 जून 2019 तक (40) दिवस

नोट – स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया जाये।

कार्य दिवसों की गणना सत्र 2019-20
(वार्षिक पद्धति-स्नातक प्रथम/द्वितीय / तृतीय वर्ष कक्षाओं हेतु प्रभावशील)

(अ)	अवकाश एवं शैक्षणिक गतिविधियों का विवरण	
1	रविवार	52
2	सामान्य अवकाश	18 कार्य दिवस
3	स्थानीय अवकाश	03 कार्य दिवस
4	दीपावली अवकाश	04 कार्य दिवस+01 रविवार = कुल 5 दिवस
5	छात्रसंघ गठन / महाविद्यालयीन सांस्कृतिक गतिविधियाँ आदि	15 कार्य दिवस
	योग –	92
(ब)	परीक्षा/ग्रीष्मावकाश के अशैक्षणिक दिवस	
1	परीक्षा पूर्व तैयारी	06 कार्य दिवस
2	परीक्षा अवधि	45 कार्य दिवस
3	ग्रीष्मावकाश एवं अवकाश	35 कार्य दिवस+05 रविवार = कुल 40 दिवस
	योग –	86 कार्य दिवस
(स)	कुल अशैक्षणिक दिवस (अ+ब) 92+86=178	178 कार्य दिवस
(द)	कुल शैक्षणिक दिवस 366-178=188	188 शैक्षणिक कार्य दिवस

नोट – अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की दशा में महाविद्यालय/वि.वि. स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादमिक कैलेण्डर का पालन समयानुसार सुनिश्चित किया जा सके।

उपर्युक्त सभी खेल विधाओं में आवश्यकतानुसार 2-2 माह के कैम्प आयोजित किये जाते हैं तत्पश्चात महाविद्यालयीन टीम हेतु खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, जो आगे संभाग, विश्वविद्यालय, राज्य, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। इन समस्त खिलाड़ियों को महाविद्यालय द्वारा सम्मानित किया जाता है।

(1) कराटे (2) एरोबिक्स (3) योग

महाविद्यालय में एन.सी.सी. की इकाई संचालित है, जिसके उत्कृष्ट कार्य को दृष्टिगत रखते हुए ग्रुप कमाण्डर ने एक और टप बढ़ाने का आदेश दिया है, जिसका कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीय सेवा योजना, युवाओं के व्यक्तित्व तथा बहुमुखी विकास हेतु युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की दो इकाईयां महाविद्यालय में कार्यरत हैं।

II महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित विभिन्न खेल विद्याओं के आयोजन, प्रशिक्षण एवं सहभागिता प्रतिवर्ष क्रीडा विभाग द्वारा कराई जाती है।

महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों के अनुभव व ज्ञान का लाभ लेने, महाविद्यालय के विकास हेतु आर्थिक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय में पूर्व छात्रा परिषद गठित है।

क्र.	गतिविधि	नाम प्रभारी	संपर्क विभाग
1.	आई.क्यू.एसी.	डॉ. एस.के. श्रीवास्तव	वाणिज्य विभाग
2.	यू.जी.सी. प्रभारी	डॉ. के.के. श्रीवास्तव	अर्थशास्त्र विभाग
3.	एन.सी.सी.	डॉ. (श्रीमती) ज्योति उपाध्याय	एन.सी.सी. कक्ष
4.	क्रीड़ा अधिकारी	श्रीमती दीपा वर्मा	खेल विभाग
5.	एन.एस.एस. इकाई—1	डॉ. (श्रीमती) अर्पणा शर्मा	गृह विज्ञान विभाग
	एन.एस.एस. इकाई—2	डॉ. (श्रीमती) पूनम वासनिक	भूगोल विभाग
6.	गांव की बेटा योजना	डॉ. गीतारानी मंगल	हिन्दी विभाग
		डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी अग्रवाल	हिन्दी विभाग
7.	विवेकानंद कैरियर एवं रोजगार मार्गदर्शन	डॉ. (श्रीमती) रेनु एस नायर	रसायन विभाग

8.	प्रतिभा किरण योजना	डॉ. (श्रीमती) भगवती आचार्य	अर्थशास्त्र विभाग
9.	अनुसूचित जाति / जन जाति / पिछड़ा वर्ग	डॉ. पी.सी. जाटव	गणित विभाग
10.	एंटी रेगिंग	डॉ. (श्रीमती) मंजू कौशिक	रसायन विभाग
11.	सी.एम. हेल्पलाईन प्रभारी –	1. डॉ. एन.एस. निरंजन 2. डॉ. के.के. श्रीवास्तव	

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं 19 (1) के अंतर्गत निम्नानुसार अपीली अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

1. लोक सूचना अधिकारी : डॉ. (श्रीमती) सुशीला माहौर
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी : डॉ. एस.के. श्रीवास्तव
3. अपीलीय अधिकारी : अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा ग्वालियर—चम्बल संभाग ग्वालियर

नोट : उक्त एक्ट की धारा 6 (1) के अनुसार आवेदक को रु. 10.00 आवेदन शुल्क जमा करना होगा। यदि आवेदक दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहता है तो रु. 50.00 प्रति घण्टा एवं दस्तावेजों की प्रति चाहता है तो उन दस्तावेजों पर आने वाला व्यय देना होगा। आवेदन के निपटारा हेतु 30 दिवस की समय सीमा एक्ट की धारा 7 (1) के अनुसार निर्धारित की गयी है।

सिटीजन चार्टर

क्रम संख्या	कार्य का विवरण गतिविधि/स्कीम	प्रभारी अधिकारी	कार्य समापन की समय सीमा	कार्यसंपन्न न होने पर अधिकारी जहां शिकायत करनी है	शिकायत निवारण की समय सीमा
1.	सभी प्रकार की धन वापसी	महाविद्यालय के प्राचार्य	एक सप्ताह	अति.संचालक उच्च शिक्षा, ग्वा.	15 दिवस
2.	महाविद्यालय में प्रवेश के लिये आवेदन पर निर्णय	महाविद्यालय के प्राचार्य	एक सप्ताह	अति.संचालक उच्च शिक्षा, ग्वा.	15 दिवस
3.(अ)	छात्रवृत्ति की स्वीकृति	महाविद्यालय के प्राचार्य	31 अक्टूबर तक	अति.संचालक उच्च शिक्षा, ग्वा.	15 दिवस
3.(ब)	छात्रवृत्ति का भुगतान	महाविद्यालय के प्राचार्य	आबंटन तिथि से 15 दिवस	अति.संचालक उच्च शिक्षा, ग्वा.	07 दिवस
4.	पुस्तकों का निर्गमन	महाविद्यालय के प्राचार्य	31 अगस्त आबंटन से	अति.संचालक उच्च शिक्षा, ग्वा.	30 दिवस

स्ववित्तीय पाठ्यक्रम का शुल्क :- प्रतिवर्ष एवं अन्य शुल्क

1.	बी.एस-सी. (कम्प्यूटर साइन्स)	—	रु. 5,500 /—
2.	बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन)	—	रु. 5,500 /—
3.	बी.एस-सी. (माइक्रोबायोलॉजी)	—	रु. 6,000 /—
4.	बी.एस-सी. (बायोटेक्नोलॉजी)	—	रु. 7,500 /—
5.	एम.एस-सी. (बायोटेक्नोलॉजी)	—	रु. 20,000 /—
6.	एम.एस-सी (माइक्रोबायोलॉजी)	—	रु. 15,000 /—

अतिरिक्त शुल्क :- प्रति वर्ष

- सम्पूर्ण शुल्क में – शुल्क, स्ववित्तीय शुल्क एवं अतिरिक्त शुल्क समाहित कर जमा किया जावेगा।

B.A. / B. Com. Ist Year

B.A. / B. Com. IInd Year

B.A. / B. Com. Illrd Year

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
F. C.	200
Appl & Pros.	100
TOTAL	1790

B. Com. Ist Year (Comp. App.)

B. Com. IInd Year (Comp. App.)

B. Com. Illrd Year (Comp. App.)

	1690
S. F.	5500
Applf & Pros.	100
TOTAL	7290

B. H. Sc. Ist Year

B. H. Sc. IIInd Year

B. H. Sc. IIIrd Year

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
F. C.	200
Pract.	150
Aplf & Pros.	100
TOTAL	1940

B. Sc. Ist Year (Maths)

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
F. C.	50
C. M.	60
Pract.	200
Aplf & Pros.	100

TOTAL 1900

B. Sc. Ist Year (Bio.)

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
F. C.	50
C. M.	60
Pract.	300
Aplf & Pros.	100

TOTAL 2000

B. Sc. Ist Year (Comp. Sc.)

	1800
S. F.	5500
Aplf & Pros.	100

TOTAL 7400

B. Sc. Ist Year (Micro Bio.)

	1900
S. F.	6000
Aplf & Pros.	100

TOTAL 8000

B. Sc. Ist Year (Biotech.)

	1900
S. F.	7500
Aplf & Pros.	100

TOTAL 9500

M. Com. Ist Sem.

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
C. M.	100
S. F.	3200
Aplf & Pros.	100

TOTAL 4890

B. Sc. IInd Year (Maths)

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
F. C.	100
Pract.	200
Aplf & Pros.	100

TOTAL 1890

B. Sc. IInd Year (Bio.)

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
F. C.	100
Pract.	300
Aplf & Pros.	100

TOTAL 1990

B. Sc. IInd Year (Comp. Sc.)

	1790
S. F.	5500
Aplf & Pros.	100

TOTAL 7390

B. Sc. IInd Year (Micro Bio.)

	1890
S. F.	6000
Aplf & Pros.	100

TOTAL 7990

B. Sc. IInd Year (Biotech)

	1890
S. F.	7500
Aplf & Pros.	100

TOTAL 9490

M. Com. IIIrd Sem.

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
S. F.	3200
Aplf & Pros.	100

TOTAL 4790

B. Sc. IIIrd Year (Maths)

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
F. C.	200
Pract.	200
Aplf & Pros.	100

TOTAL 1990

B. Sc. IIIrd Year (Bio.)

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
F. C.	200
Pract.	300
Aplf & Pros.	100

TOTAL 2090

B. Sc. IIIrd Year (Comp. Sc.)

	1890
S. F.	5500
Aplf & Pros.	100

TOTAL 7490

B. Sc. IIIrd Year (Micro Bio.)

	1990
S. F.	6000
Aplf & Pros.	100

TOTAL 8090

B. Sc. IIIrd Year (Biotech)

	1990
S. F.	7500
Aplf & Pros.	100

TOTAL 9590

B. Lib. Sc. Ist Year

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
C. M.	100
S. F.	5000
Aplf & Pros.	100

TOTAL 6690

M. Sc. Ist Sem. (Micro)

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
C. M.	100
S. F.	15000
Pract.	400
Aplf & Pros.	100
TOTAL	17090

M. Sc. Illrd Sem. (Micro)

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
S. F.	15000
Pract.	400
Aplf & Pros.	100
TOTAL	16990

M. Sc. Ist Sem. (Biotech)

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
C. M.	100
S. F.	20000
Pract.	400
Aplf & Pros.	100
TOTAL	22090

M. Sc. Illrd Sem. (Biotech)

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
S. F.	20000
Pract.	400
Aplf & Pros.	100
TOTAL	21990

M. H.Sc. Ist Sem. (Home Sc.)

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
C. M.	100
S. F.	10000
Pract.	400
Aplf & Pros.	100
TOTAL	12090

M. H.Sc. Illrd Sem. (Home Sc.)

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
S. F.	10000
Pract.	400
Aplf & Pros.	100
TOTAL	11990

M.A. Ist Sem.

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
C. M.	100
Aplf & Pros.	100
TOTAL	1690

M.A. Illrd Sem.

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
Aplf & Pros.	100
TOTAL	1590

M.A. Ist Sem. (Psy/Geog.)

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
C. M.	100
Pract.	200
Aplf & Pros.	100
TOTAL	1890

M.A. Illrd Sem. (Psy/Geog.)

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
Pract.	200
Aplf & Pros.	100
TOTAL	1790

M.A. Ist Sem. (English)

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
C. M.	100
S.F.	4000
Aplf & Pros.	100
TOTAL	5690

M.A. Illrd Sem. (English)

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
S.F.	4000
Aplf & Pros.	100
TOTAL	5590

M.A. Ist Sem. (Drawing/Dance/Inst./Music)

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
C. M.	100
S.F.	6000
Aplf & Pros.	100
TOTAL	7690

M.A. Illrd Sem. (Drawing/Dance/Inst./Music)

E. D.	240
A. F.	390
O. F.	560
J. B.	300
S.F.	6000
Aplf & Pros.	100
TOTAL	7590

जनभागीदारी समिति

1. अध्यक्ष	पदेन जिलाधीश ग्वालियर
2. सचिव	पदेन प्राचार्य डॉ. श्रीमती सुशीला माहौर
3. अन्य	रिक्त

राजपत्रित अधिकारियों की सूची डॉ. (श्रीमती) सुशीला माहौर – प्राचार्य

विभाग	नाम	पद	मोबाइल नं.
हिन्दी विभाग	1. डॉ. (श्रीमती) गीतारानी मंगल	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	9399576356
	2. डॉ. (श्रीमती) ज्योति उपाध्याय	प्राध्यापक	8989041891
	3. डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी अग्रवाल	प्राध्यापक	9179975249
	4. डॉ. (श्रीमती) बीना गुप्ता	प्राध्यापक	9425337842
	5. प्रो. एम. के. खान	सहायक प्राध्यापक	9425135149
अर्थशास्त्र विभाग	1. डॉ. (श्रीमती) भगवती आचार्य	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	9713722798
	2. डॉ. के. के. श्रीवास्तव	प्राध्यापक	9826264816
	3. डॉ. (श्रीमती) रजनी मिश्रा	प्राध्यापक	9827754415
	4. डॉ. राजीव सिंह चौहान	प्राध्यापक	9827389089
	5. रिक्त	सहा. प्राध्यापक	
राजनीतिशास्त्र विभाग	1. (श्रीमती) शुभा श्रीवास्तव	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	9713023701
	2. डॉ. (श्रीमती) माया त्रिपाठी	प्राध्यापक	9425778428
	3. डॉ. रतन सिन्हा	प्राध्यापक	9425773812
	4. प्रो. मुकेश कुमार	सहा. प्राध्यापक	9425461345
मनोविज्ञान विभाग	1. रिक्त	प्राध्यापक	
	2. रिक्त	प्राध्यापक	
	3. रिक्त	सहायक प्राध्यापक	
समाजशास्त्र विभाग	1. डॉ. (श्रीमती) साधना तोमर	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	9406505490
	2. डॉ. राजेश कुमार सक्सेना	प्राध्यापक	9826505728
	3. प्रो. (श्रीमती) मंजू सिंह वीर	सहायक प्राध्यापक	9425112083
इतिहास विभाग	1. डॉ. नीरज गोयल	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	9425712818
अंग्रेजी विभाग	1. डॉ. एन.एस. निरंजन	सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	9425113718
	2. प्रो. पवन बरेलिया	सहायक प्राध्यापक	9425307364

संस्कृत विभाग	1. डॉ. (श्रीमती) पूनम वार्ष्ण्य	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	9425757880
भूगोल विभाग	1. डॉ. ब्रिजेन्द्र सिंह	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	9893249795
	2. डॉ. ए. के. झा	सह-प्राध्यापक	9425757110
	3. प्रो. अमित कुमार	सहायक प्राध्यापक	9826240292
	4. प्रो. पूनम वासनिक	सहायक प्राध्यापक	9575065549
गृहविज्ञान विभाग	1. डॉ. (श्रीमती) अपर्णा शर्मा	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	9826257633
	2. रिक्त	सहायक प्राध्यापक	
	3. रिक्त	सहायक प्राध्यापक	
चित्रकला विभाग	1. रिक्त	सहायक प्राध्यापक	
	2. रिक्त	सहायक प्राध्यापक	
कंठ संगीत विभाग	1. डॉ. भागवन्ती	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	9329614662
वाद्य संगीत विभाग	1. डॉ. संजीव भण्डारी	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	9893017534
नृत्य विभाग	1. डॉ. भगवानदास माणिक	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	9425770938
भौतिक विभाग	1. डॉ. शरद भदौरिया	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	7987572451
	2. प्रो. रामकुमार सिंह दण्डोटिया	सहायक प्राध्यापक	9826283791
रसायन शास्त्र विभाग	1. डॉ. विमलकान्त श्रीवास्तव	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	9425735677
	2. डॉ. (श्रीमती) रेनू एस. नायर	प्राध्यापक	9425772917
	3. रिक्त	सहायक प्राध्यापक	
प्राणिशास्त्र विभाग	1. प्रो. एस.के. अग्रवाल	सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	9425727115
वनस्पतिशास्त्र विभाग	1. डॉ. जी. डी. व्यास	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	9425777844
	2. रिक्त	सहायक प्राध्यापक	
गणित विभाग	1. डॉ. पी. सी. जाटव	सह-प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	9893063627
	2. रिक्त	सहायक प्राध्यापक	
वाणिज्य विभाग	1. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	9425338782
	2. डॉ. आर. एन. खण्डेलवाल	प्राध्यापक	9425119033
	3. डॉ. पी.के. सिरोठिया	प्राध्यापक	9827079699
पुस्तकालय विज्ञान विभाग	1. डॉ. राकेश श्रीवास्तव	सह-प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	9893896706
पुस्तकालयाध्यक्ष	1. श्रीमती आशा देवी तोमर	पुस्तकालयाध्यक्ष	9179547583
क्रीडा विभाग	1. श्रीमती दीपा वर्मा	क्रीडा अधिकारी	9893117314

स्टॉफ सूची (तृतीय श्रेणी)

1.	मुख्य लिपिक
2.	रिक्त	लेखापाल
3.	श्रीमती प्रीति सक्सेना	सहायक ग्रेड – 2 (प्रभारी मुख्य लिपिक)
4.	श्री माताचरण शर्मा	सहायक ग्रेड – 3 (प्रभारी लेखापाल)
5.	श्रीमती रीता सिंह	सहायक ग्रेड – 3
6.	श्रीमती लक्ष्मी बाजपेयी	प्रयोगशाला तकनीशियन
7.	श्री सभाजीत सिंह सेंगर	प्रयोगशाला तकनीशियन
8.	श्रीमती ज्योति लालवानी	प्रयोगशाला तकनीशियन
9.	श्री सुरेश शंखवार	प्रयोगशाला तकनीशियन
10.	श्रीमती संध्या देशपांडे	प्रयोगशाला तकनीशियन
11.	श्रीमती भावना शर्मा	प्रयोगशाला तकनीशियन
12.	श्रीमती ममता खरे	प्रयोगशाला तकनीशियन
13.	रिक्त	प्रयोगशाला तकनीशियन
14.	रिक्त	तबला वादक

स्टॉफ सूची (चतुर्थ श्रेणी)

1.	श्री हेतराम छापेरिया	प्रयोगशाला परिचारक
2.	श्री लाल बहादुर राम	प्रयोगशाला परिचारक
3.	श्री कमल सिंह दोहरे	प्रयोगशाला परिचारक
4.	श्री चन्द्र देव	प्रयोगशाला परिचारक
5.	श्रीमती आशा सिंह	प्रयोगशाला परिचारक
6.	रिक्त	प्रयोगशाला परिचारक
7.	रिक्त	प्रयोगशाला परिचारक
8.	रिक्त	प्रयोगशाला परिचारक
9.	श्री राजू बाथम	भृत्य
10.	रिक्त	भृत्य
11.	रिक्त	फर्राश
12.	श्री रवि केवट	माली
13.	श्री महेश कुमार रजक	चौकीदार
14.	श्रीमती किरन शर्मा	चौकीदार
15.	रिक्त	वाटर कैरियर
16.	रिक्त	स्वीपर